(11)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

PBR/सर्वे

R 1472-PBR/2006

श्री के.के. द्विवेदी एडवोकेट द्वारा आज दि. 14/8/06 को प्रस्तुत।
14.8.06
रीडर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक पी.बी.आर./06

1. खेंचूराम
2. बद्रीप्रसाद
3. मथुराप्रसाद पुत्रगण श्री भग्गा उर्फ भागीरथ कोली निवासी ग्राम - दसेरिया तहसील खनियांधाना, जिला - शिवपुरी म०प्र०

— आवेदकगण

विरुद्ध

गजरामसिंह पुत्र श्री अखेसिंह यादव निवासी ग्राम दसेरिया तहसील खनियांधाना जिला - शिवपुरी (म०प्र०)

— अनावेदक

न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 240/05-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5.6.06 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

14.8.06
K. K. Dwivedi
Advocate

माननीय महोदय,

आवेदकगणों की ओर से निम्नांकित निवेदन है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :-

===============

1- यह कि, अनावेदक द्वारा ग्राम दसेरिया में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 258 रकवा 18 बीघा थी जिसके बन्दोबस्त में सर्वे नं. 996, 1016, 1017 बनाये गये इसमें अनावेदक द्वारा यह बताया गया कि भूमि पर रकवा पूरा है किंतु अक्स नक्शा

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1472–अध्यक्ष/06 जिला –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
14.7.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवदी उपस्थित होकर उनके द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का प्रकरण कमांक 240/निगरानी/05–06 में पारित आदेश दिनांक 5.6.06 के विरुद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की है। 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि अनावेदक गजराज सिंह द्वारा विचारण न्यायालय में आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 89 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया कि ग्राम दसेरिया के सर्वे न0 258 रकवा 18 बीघा जिसके नवीन न0 996, 1017, एवं 1016 बनाये गये हैं, जिनमें भूमि मौके पर पूरी लेकिन रिकार्ड में अक्स में भूमि कम कर दी गई है। अतः पूर्व के नक्शा एवं अक्स में दुरस्ती करने की मांग की जिस पर से विचारण न्यायालय	

द्वारा कार्यवाही उपरांत दिनांक 12.5.07 को आदेश पारित किया गया । जिससे व्यथित होकर आवेदक खच्चूराम आदि ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त कर तहसीलदार को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया और निर्देश दिया कि उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित करें। इसी आदेश से दुखी होकर अनावेदक गजराज सिंह ने अपर आयुक्त ग्वालियर के यहां निगरानी प्रस्तुत की । अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसीलदार का आदेश यथावत रखा एवं निगरानी स्वीकार की गई। इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी आवेदक खच्चूराम ने इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3– आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कियेबिना राजस्व निरीक्षक के एक पक्षीय प्रतिवेदन को आधार बनाकर पारित किया गया हे जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से निरानी अपास्त किये जाने का निवेदन किया है। उनके द्वारा बताया गया है कि विवादित भूमि सर्वे न0

आवेदक के भूमि स्वामी स्वत्व के हैं। अतः इस कारण उन्हें पक्षकार बनाना आवश्यक था। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह माना गया था कि विचारण न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही कीगयी है अधिकारिता रहित एवं त्रुटि पूर्ण है। उनके द्वारा अंत में कहा गया है कि अपर आयुक्त का आदेश एक स्वेच्छाचारी एवं मनमाने ढंग से पारित किया गया है जो निरस्त करने का निवेदन किया है, तथा निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

4- अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक के हित इसमें प्रभावित नहीं होते हैं जब तक सीमांकन नहीं हो जाता तब यह पता ही नहीं चलता कि किस कृषक की भूमि में रकवा बढ़ा है इसलिये पक्षकार शासन को ही बनाया जाता है। अतः अंत में उनके द्वारा बताया गया है कि इस प्रकरण में सिविल न्यायालय से आदेश पारित हो गया है जिस हेतु उनके द्वारा समय की मांग की गई कि वह शीघ्र ही माननीय सिविल न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत कर देंगे। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि निगरानी निरस्त की जावे।

5- उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेखें का अध्ययन किया गया।

6- यह बात सही है कि बन्दोवस्त के दौरान आई त्रुटि को दुरूस्ती के लिये दिये जाने वाले आवेदनों में शासन पक्षकार बनाया जाता है ओर किसी व्यक्ति विशेष को पक्षकार नहीं बनाया जाता । आवेदक को यह पता नहीं रहता है कि उसके खाते की भूमि किस कृषक के खते में बढ़ गई है यह बात तो सीमांकन आदि के बाद ही पता चल सकती है। विचारण न्यायालय ने इश्तहार जारी किया गया है आपत्ति भी बुलाई गई हैं और पटवारी से प्रतिवेदन आदि भी लिया जाकर अक्स में सुधार किया गया है । अतः अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझाता हूँ। इस बीच सिविल न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है। चूंकि सिविल न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है, जो आदेश माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित किया जायेगा वह मान्य होगा। और तदानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु पक्षकार स्वतंत्र हैं।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाता है । आवेदक की प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य